अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैंथल जिला दौसा राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री अमृता खण्डेलवाल (आर. ए. एस.)
मुकदमा नम्बर :– 15/2024
दायर दिनांक :– 05.12.2024
निर्णय दिनांक :– 17.11.2025

उनवान

1. सरवण उर्फ श्रवण पुत्र रेवड जाति मीना निवासी ग्राम चैंनपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा राजस्थान

बनाम

1. सीताराम पुत्र रामु
2. मुन्नाराम पुत्र रामु
3. छोटेलाल पुत्र श्योराम
4. पूरणमण पुत्र श्योराम
5. रामकेश पुत्र श्योराम
6. रामसिंह पुत्र श्योराम
7. हंसा पुत्री श्योराम
8. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र रामकुंवार
9. हजारीलाल पुत्र रामकुंवार
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चैंनपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंथल जिला दौसा
11. उप पंजीयक सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा

उपस्थितिः 1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा–अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का बापी तहसील सैंथल जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.3700 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर, 93 रकबा 0.1400

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.1100 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 3.0400 है0 के 1/4 हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार प्रार्थी है व शेष हिस्से के खातेदार अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 9 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। मौके पर मनबट के अनुसार बाहमी रूप से बंटवारा कर रखा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को भूमि का विधिवत तकास्मा करने हेतु कई बार कहा लेकिन अप्रार्थीगण ने हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर तकास्मा कराने से साफ इनकार कर दिया गया तथा प्रार्थी के कब्जे कास्त की भूमि पर मकान बनाने और लाठी के बल पर भूमि को बेचान करने की धमकी दी गई। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को पाबन्द फरमावे कि स्वयं अथवा अपने परिवारजनों, एजेन्टों नौकरों सहयोगियों साथियों कारीगरों, मजदूरों ठेकेदारों आदि के द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.3700 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर, 93 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.1100 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 3.0400 है0 वाके ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का बापी तहसील सैंथल जिला दौसा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा करने से व प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने से अथवा हर प्रकार से अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करें।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.11.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार पारीक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः—इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्टया का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का बाप तहसील सैंथल जिला दौसा में कृषि भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

105 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.3700 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर, 93 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.1100 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 3.0400 है0 स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। हमारा अभिमत है कि रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

2. सुविधा का संतुलनः– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया गया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं होगी। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है।

3. अपूरणीय क्षतिः– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हमारा अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथाः– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने व दौराने एकपक्षीय बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण लाठी के बल पर बेचान करने को आमादा हो रहे हैं। इस कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

::आदेश::

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अतंर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांती साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक उभयपक्षकारान के विरूद्ध इस आशय का पारित किया जाता है कि ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का बापी तहसील सैंथल जिला दौसा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.3700 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 85

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर, 93 रकबा 0.1400 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.1100 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 3.0400 है0 में उभयपक्ष ताफैसला वाद मौके व भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल मूल वाद के हमकिता होवें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल